बिल का सारांश

कर्नाटक एडवोकेट्स के साथ हिंसा का निषेध बिल, 2023

- कर्नाटक एडवोकेट्स के साथ हिंसा का निषेध बिल, 2023 को 23 फरवरी, 2023 को कर्नाटक विधानसभा में पेश किया गया। बिल वकीलों को निशाना बनाकर की जाने वाली हिंसा से उन्हें बचाने का प्रयास करता है ताकि वे प्रभावी ढंग से अपना पेशेवर काम कर सकें। बिल की प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **हिंसा का निषेध**: बिल वकीलों के साथ किए जाने वाले हिंसक कृत्यों को प्रतिबंधित करता है जो लंबित मुकदमों के संबंध में उनके कर्तव्यों के निर्वहन में रुकावट पैदा करते हैं। हिंसा किसी भी ऐसी गतिविधि को कहा जाता है, जो जीवन को खतरे में डालती है, शारीरिक नुकसान पहुंचाती है या एक वकील को आपराधिक रूप से डराती है। वकीलों में लीगल प्रैक्टीशनर्स शामिल होते हैं जिनका नाम कर्नाटक राज्य बार काउंसिल के तहत दर्ज है। कानून प्रवर्तन एजेंसी के कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए किसी वकील के खिलाफ किसी भी कानूनी कठोरता या कार्रवाई को हिंसा नहीं माना जाएगा।

- **वकील की गिरफ्तारी**: अगर किसी वकील को संज्ञेय अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है, तो पुलिस को 24 घंटे के भीतर उस एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष या सचिव को सूचित करना होगा जिससे वह वकील संबंधित है।

- **दंड**: किसी वकील के साथ हिंसा करने पर छह महीने से लेकर तीन साल तक की कैद और/या एक लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों भुगतने होंगे। बिल के तहत सभी अपराधों की सुनवाई प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निचली अदालत में नहीं की जाएगी।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

अलाया पूरेवाल
alaya@prsindia.org

10 मई, 2023